



**बिहार लोक सेवा आयोग**  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

बिहार राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत) के कुल-1024 (एक हजार चौबीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणी निम्नलिखित है:-

(क) विज्ञापन सं.- 29/2025 सहायक अभियंता (असैनिक) के कुल-984 पद

| क्र. सं. | विभाग का नाम                | अनारक्षित                |                                             | अनुसूचित जाति            |                                             | अनुसूचित जनजाति          |                                             | अत्यंत पिछड़ा वर्ग       |                                             | पिछड़ा वर्ग              |                                             | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |                                             | पिछड़े वर्गों की महिलाएँ | कुल पद                              | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए (2%) क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल पद | दिव्यांग हेतु आरक्षित (4%) क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल पद |
|----------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                             | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रिक्ति की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या |                          | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित कुल पद |                                                                                    |                                                         |
| 1.       | पथ निर्माण विभाग            | 68                       | 24                                          | 24                       | 08                                          | 03                       | 01                                          | 08                       | 03                                          | 00                       | 00                                          | 12                       | 04                                          | 02                       | 117                                 | 03                                                                                 | VI-01<br>DD-02<br>OH-01<br>MD-01                        |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 40                                  |                                                                                    |                                                         |
| 2.       | भवन निर्माण विभाग           | 44                       | 15                                          | 02                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 06                       | 02                                          | 01                       | 55                                  | 01                                                                                 | VI-01<br>DD-00<br>OH-01<br>MD-01                        |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 17                                  |                                                                                    |                                                         |
| 3.       | ग्रामीण कार्य विभाग         | 85                       | 30                                          | 46<br>(द्वैकलिंग)<br>07  | 16                                          | 03                       | 01                                          | 19                       | 07                                          | 40<br>(द्वैकलिंग)<br>10  | 14                                          | 21                       | 07                                          | 00                       | 231                                 | 04                                                                                 | VI-02<br>DD-02<br>OH-02<br>MD-03                        |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 75                                  |                                                                                    |                                                         |
| 4.       | जल संसाधन विभाग             | 130                      | 46                                          | 59<br>(द्वैकलिंग)<br>09  | 21                                          | 04<br>(द्वैकलिंग)<br>01  | 01                                          | 67<br>(द्वैकलिंग)<br>15  | 23                                          | 28                       | 10                                          | 33                       | 12                                          | 05                       | 351                                 | 07                                                                                 | VI-03<br>DD-03<br>OH-03<br>MD-04                        |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 113                                 |                                                                                    |                                                         |
| 5.       | लघु जल संसाधन विभाग         | 29                       | 10                                          | 10                       | 04                                          | 00                       | 00                                          | 10                       | 04                                          | 02                       | 00                                          | 06                       | 02                                          | 01                       | 58                                  | 01                                                                                 | VI-01<br>DD-00<br>OH-00<br>MD-01                        |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 20                                  |                                                                                    |                                                         |
| 6.       | नगर विकास एवं आवास विभाग    | 34                       | 12                                          | 13                       | 05                                          | 01                       | 00                                          | 16                       | 06                                          | 10                       | 04                                          | 09                       | 03                                          | 02                       | 85                                  | 02                                                                                 | VI-01<br>DD-01<br>OH-01<br>MD-00                        |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 30                                  |                                                                                    |                                                         |
| 7.       | योजना एवं विकास विभाग       | 74                       | 26                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 08                       | 03                                          | 00                       | 82                                  | 01                                                                                 | VI-01<br>DD-01<br>OH-01<br>MD-00                        |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 29                                  |                                                                                    |                                                         |
| 8.       | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | 02                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 00                       | 05                                  | 00                                                                                 | VI-00<br>DD-00<br>OH-00<br>MD-00                        |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 00                                  |                                                                                    |                                                         |
| कुल पद   |                             | 466                      | 163                                         | 171                      | 54                                          | 13                       | 03                                          | 136                      | 43                                          | 91                       | 28                                          | 96                       | 33                                          | 11                       | 984                                 | 19                                                                                 | 38                                                      |
|          |                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 324                                 |                                                                                    |                                                         |

8

## (ख) विज्ञापन सं.- 30/2025 सहायक अभियंता (यांत्रिक) के कुल-36 पद

| क्र. सं. | विभाग का नाम             | अनारक्षित                |                                             | अनुसूचित जाति            |                                             | अनुसूचित जनजाति          |                                             | अत्यंत पिछड़ा वर्ग       |                                             | पिछड़ा वर्ग              |                                             | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |                                             | पिछड़े वर्गों की महिलाएं | कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए (2%) क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल पद | दिव्यांग हेतु आरक्षित (4%) क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल पद |
|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                          | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या |                          |        |                                                                                    |                                                         |
| 1.       | पथ निर्माण विभाग         | 09                       | 03                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 01                       | 12     | 00                                                                                 | VI- 00<br>DD-00<br>OH-01<br>MD-00                       |
|          |                          |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 03     |                                                                                    |                                                         |
| 2.       | मवन निर्माण विभाग        | 03                       | 01                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 03     | 00                                                                                 | VI- 00<br>DD-00<br>OH-00<br>MD-00                       |
|          |                          |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 01     |                                                                                    |                                                         |
| 3.       | लघु जल संसाधन विभाग      | 03                       | 01                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 04     | 00                                                                                 | VI- 00<br>DD-00<br>OH-00<br>MD-00                       |
|          |                          |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 01     |                                                                                    |                                                         |
| 4.       | नगर विकास एवं आवास विभाग | 06                       | 02                                          | 02                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 03<br>(बैकलॉग)           | 01                                          | 02                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 01<br>(बैकलॉग)           | 17     | 00                                                                                 | VI- 00<br>DD-00<br>OH-01<br>MD-00                       |
|          |                          |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 03     |                                                                                    |                                                         |
| कुल पद   |                          | 21                       | 07                                          | 02                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 07                       | 01                                          | 02                       | 00                                          | 02                       | 00                                          | 02                       | 36     | 00                                                                                 | 02                                                      |
|          |                          |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 08     |                                                                                    |                                                         |

## (ग) विज्ञापन सं.- 31/2025 सहायक अभियंता (विद्युत) के कुल-04 पद

| विभाग का नाम             | अनारक्षित                |                                             | अनुसूचित जाति            |                                             | अनुसूचित जनजाति          |                                             | अत्यंत पिछड़ा वर्ग       |                                             | पिछड़ा वर्ग              |                                             | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |                                             | पिछड़े वर्गों की महिलाएं | कुल पद | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए (2%) क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल पद | दिव्यांग हेतु आरक्षित (4%) क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल पद |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                          | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या | कोटिवार रक्षित की संख्या | महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की संख्या |                          |        |                                                                                    |                                                         |
| नगर विकास एवं आवास विभाग | 02                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 01                       | 00                                          | 00                       | 00                                          | 00                       | 04     | 00                                                                                 | VI- 00<br>DD-00<br>OH-00<br>MD-00                       |
|                          |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          |                                             |                          | 00     |                                                                                    |                                                         |

नोट:-(i) दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VI - दृष्टि दिव्यांग, DD - मूक बधिर दिव्यांग, OH - चलन दिव्यांग, MD - मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।

(ii) अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर विवेचित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान:- Level-09 ग्रेड पे-5400/-

3. शैक्षणिक योग्यता :-

- किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से सिविल/यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिम्ब-विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।
- अभियंत्रण संस्थान का सह-सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा-"अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा-"अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।

टिप्पणी 1 :-

- जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।
- निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हो, वह इस रूप में नहीं होगा:-  
(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और  
(ख) खण्ड-(4) में विनिर्दिष्ट योग्यता रखनेवाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग-III में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। (बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019 आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर उपलब्ध है)।

8

#### 4. प्रशिक्षित प्रशिक्षु:-

- अन्य बातें समान होने पर, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को अन्य अभ्यर्थियों पर अधिमानता दी जायेगी तथा यह अधिमानता नियुक्ति की प्रक्रिया में दी जायेगी। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग भी लेना होगा।
- नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को किसी नियोजनालय में निबंधित होना अपेक्षित नहीं होगा।
- प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के रास्ते में यदि आयुवर्जन आयेगा तो उस अवधि तक जिस अवधि तक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण दिया गया हो, शिथिलता दी जायेगी।

#### 5. उम्र सीमा:- दिनांक 01.08.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु कट-ऑफ-डेट निम्नवत् होगी:-

| वि.सं.    | पद का नाम                | विभाग का नाम             | अधिकतम उम्र हेतु कट-ऑफ-डेट | अधिकतम उम्र सीमा                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 / 2025 | सहायक अभियंता (असैनिक)   | पथ निर्माण विभाग         | 01.08.2020                 | अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष। |
|           |                          | लघु जल संसाधन विभाग      |                            |                                                                                                                                                                               |
|           |                          | नगर विकास एवं आवास विभाग |                            |                                                                                                                                                                               |
|           |                          | भवन निर्माण विभाग        | 01.08.2019                 |                                                                                                                                                                               |
|           |                          | जल संसाधन विभाग          | 01.08.2018                 |                                                                                                                                                                               |
|           |                          | ग्रामीण कार्य विभाग      |                            |                                                                                                                                                                               |
|           |                          | योजना एवं विकास विभाग    |                            |                                                                                                                                                                               |
| 30 / 2025 | सहायक अभियंता (यांत्रिक) | पथ निर्माण विभाग         | 01.08.2012                 |                                                                                                                                                                               |
|           |                          | भवन निर्माण विभाग        | 01.08.2018                 |                                                                                                                                                                               |
|           |                          | लघु जल संसाधन विभाग      | 01.08.2020                 |                                                                                                                                                                               |
|           |                          | नगर विकास एवं आवास विभाग |                            |                                                                                                                                                                               |
| 31 / 2025 | सहायक अभियंता (विद्युत)  | नगर विकास एवं आवास विभाग | 01.08.2020                 |                                                                                                                                                                               |

संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गयी अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी। अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर-निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु कार्य अवधि की गणना कट-ऑफ-डेट 01.08.2024 तक की जाएगी।

नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा। वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक-12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है, परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

- चयन का आधार:- सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किये गये कार्य की अधिमानता की गणना कर की जायेगी।

➤ लिखित परीक्षा छः पत्रों की होगी, जिनमें 04 पत्र अनिवार्य और 02 पत्र ऐच्छिक होंगे। प्रथम 04 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे। दो ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे, जो सिविल, यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग-अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र मात्र Qualifying होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात् अलग-अलग दोनों पत्रों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जायेगा।

सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय/पत्र/समय और कुल अंक निम्नांकित होंगे:-  
(क) सभी विज्ञापनों के लिए अनिवार्य पत्र

| पत्र सं. | विषय                      | परीक्षा की प्रकृति     | अवधि    | कुल अंक |            |
|----------|---------------------------|------------------------|---------|---------|------------|
| 1.       | सामान्य अंग्रेजी          | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100     | Qualifying |
| 2.       | सामान्य हिन्दी            | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100     |            |
| 3.       | सामान्य अध्ययन            | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100     |            |
| 4.       | सामान्य अभियंत्रण विज्ञान | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100     |            |

(ख) ऐच्छिक पत्र

वि.सं.-29/2025 के लिए

|    |                 |                        |         |     |
|----|-----------------|------------------------|---------|-----|
| 5. | सिविल अभियंत्रण | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |
| 6. | सिविल अभियंत्रण | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |

वि.सं.-30/2025 के लिए

|    |                    |                        |         |     |
|----|--------------------|------------------------|---------|-----|
| 5. | यांत्रिक अभियंत्रण | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |
| 6. | यांत्रिक अभियंत्रण | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |

वि.सं.-31/2025 के लिए

|    |                   |                        |         |     |
|----|-------------------|------------------------|---------|-----|
| 5. | विद्युत अभियंत्रण | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |
| 6. | विद्युत अभियंत्रण | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |

कुल (3+4+5+6) = 400

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या- 2374, दिनांक-16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-962, दिनांक-22.01.2021 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिमानता का अंक जोड़ा जायेगा।

नोट:-पत्र/विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर उपलब्ध है।

7. मेधा सूची:-

संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में निम्नानुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जायेगी।

अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी:-

| अधिमानता                                                                                                                                                                                                                                                       | पूर्णांक |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (क) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता                                                                                                                                                                                             | 75 अंक   |
| (ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)। | 25 अंक   |
| कुल                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 अंक  |

नोट:- (a) परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा।

अर्थात् अधिमानता अंक= (परीक्षा में प्राप्त अंक÷परीक्षा के कुल अंक) x 75

(b) संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पद पर किये गये कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों का कार्य अनुभव मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-28.05.2025 तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जाएगी।

(c) लिखित परीक्षा एवं संविदा नियोजन के फलस्वरूप प्राप्त अंकों की अधिमानता के योग के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

(d) इस विज्ञापन के अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

(e) सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय विभाग के लिए अधिमानता (Department preference) अवरोही क्रम में देना होगा। अभ्यर्थी उच्च सीमा के आधार पर जिस विभाग के लिए योग्य होंगे, केवल उसी विभाग के लिए अधिमानता मान्य होगा। सफल अभ्यर्थियों द्वारा विभाग के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर ही उन्हें विभाग का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जाती है, तो उस विभाग के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जायेगा। किसी एक अधिमानता के विभाग आवंटित हो जाने के पश्चात् शेष अन्य विभागों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसपर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा।

**8. आरक्षण:-**

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
  - (a) जाति प्रमाण-पत्र
  - (b) स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।  
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।  
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।  
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम, 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा। उक्त पत्रों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र (EWS) निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

| क्र.सं. | आरक्षित कोटि                                           | ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि | कोटि कोड |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1.      | अनारक्षित (Unreserved)                                 | UR                            | 01       |
| 2.      | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)                        | SC                            | 02       |
| 3.      | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)                      | ST                            | 03       |
| 4.      | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)          | EBC                           | 04       |
| 5.      | पिछड़ा वर्ग (Backward Class)                           | BC                            | 05       |
| 6.      | पिछड़े वर्ग की महिला (Backward Class ladies)           | BCL                           | 06       |
| 7.      | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) | EWS                           | 07       |

(vi)(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability)को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/Civil Surgeon/CMO से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी औपबधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता संबंधित जाँच कराने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2568, दिनांक-11.02.2025 के आलोक में विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन की कंडिका-1(ख) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-28.05.2025 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अर्हता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

नोट:-(a) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(b) आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

(i) मैट्रिक या समतुल्य का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।

(ii) विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण-पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक-पत्र।

(iv) उम्मीदवार ने जिस महाविद्यालय/संस्थान में अंतिम पढ़ाई की है, उसके प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र एवं आचरण प्रमाण-पत्र।

➤ उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(v) संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के लिए कार्य की अधिमानता एवं अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैर निजी



- (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) कार्यालयों/संस्थानों के संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण के आधार पर निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र।
- (vi) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र)।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र)।
- (viii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
- (ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए)।
- (x) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।
- (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 एवं पत्रांक-2568, दिनांक-11.02.2025 के अनुसार दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र।
- (xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र।
- (xiii) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- (xiv) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (xv) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त), जैसा की आवेदन में दावा किया हो।
- (xvii) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) पासपोर्ट आकार का फोटो।
- (xviii) लिखित परीक्षा हेतु भरे गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) दिया जायेगा। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जांच कर तथा सभी चरणों में योग्य एवं सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा।

9. शुल्क:-

अभ्यर्थियों को कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (a) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

(b) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/अनारक्षित महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

10. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

|    |                                    |            |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि | 30.04.2025 |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि    | 28.05.2025 |

- (ii) उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता, संविदा आधारित कार्यानुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ सत्यापन के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रदर्शित है।  
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

11. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

**A. One Time Registration (OTR)**

- (i) BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <https://bpsconline.bihar.gov.in> पर One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य है।
- (ii) OTR करने के लिए अभ्यर्थी New user Registration Button पर Click करेंगे।
- (iii) भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा।
- (iv) OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा के लिए एक अलग डैशबोर्ड देना है।
- (v) OTR करने के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल के Inbox या Spam में अपना ईमेल OTP देखें।
- (vi) जो उम्मीदवार BPSC द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग होगा।
- (vii) एक से अधिक OTR पंजीकरण की अनुमति नहीं है। इससे आपका आवेदन अस्वीकृत/रद्द हो सकता है।
- (viii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय One Time Registration (OTR) कराया है, वे भी नए पोर्टल पर नये सिरे से OTR प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ix) ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नं./ईमेल.आई.डी. एवं अभ्यर्थी द्वारा बनाये गये पासवर्ड से URL: <https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login> पर Login करेंगे।

नोट:-

- (i) OTR के क्रम में भरे गये अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार व जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- (ii) आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे Digilocker Account के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।

**B. INSTRUCTIONS FOR DIGILOCKER ACCOUNT:-**

- (i) OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही Digilocker का Meri Pehchan Portal खुल जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास Digilocker का Account उपलब्ध है, तो Digilocker Account का Consent OAMS को देते हुए Sign in करना होगा एवं अगर आवेदक के पास Digilocker का Account उपलब्ध नहीं है, तो New Sign up करते हुए Digilocker Account Create कर सकते हैं एवं Digilocker का Consent OAMS को देते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- (ii) यदि आवेदक ने पहले ही डिजिलॉकर पर दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और OAMS को access दी है, तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेजों को OAMS से Link कर सकते हैं।

*b*

- (iii) यदि आवेदक Digilocker के Portal के माध्यम से Proceed नहीं करना चाहते हो तो Browser के Back (←) Button पर Click करने के उपरान्त Online Application का Portal खुल जायेगा। Online Application Portal पर Login Credentials Enter करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

### **C. INSTRUCTIONS FOR PROFILE CREATION:-**

प्रोफाइल निर्माण के लिए छह चरण हैं। वे इस प्रकार हैं:-

- Step 1: Personal Information (व्यक्तिगत जानकारी)  
 Step 2: Address Information (पता संबंधी जानकारी)  
 Step 3: Other Information (अन्य जानकारी)  
 Step 4: Qualification Information (योग्यता संबंधी जानकारी)  
 Step 5: Experience Information (अनुभव संबंधी जानकारी)  
 Step 6: Upload Photo / Signature and Profile Lock (अपलोड फोटो/हस्ताक्षर प्रोफाइल लॉक)

**Step 1: व्यक्तिगत जानकारी :** इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण (UR, EWS, BC, EBC, SC एवं ST)। आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 2: पता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपना स्थायी पता भरना होगा, जैसे उसका पता, राज्य, जिला और पिन कोड। फिर आवेदक को पत्राचार का पता देना होगा। यदि स्थायी पता पत्राचार के पते के समान है, तो आवेदक Same as Above पर Click कर सकता है। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 3: अन्य जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रहे कोई भी आपराधिक कार्यवाही या सजा का विवरण है तो उसे भरना होगा। अंत में, आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 4: योग्यता संबंधी जानकारी :** इस चरण में आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं एवं बारहवीं से आगे तक जानकारी प्रदान कर सकता है। इस चरण में शैक्षणिक योग्यता (ड्रॉप-डाउन में उपलब्ध विकल्प में से चुनना होगा), शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य, बोर्ड/विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (Completed or Appearing), शैक्षणिक योग्यता की उत्तीर्णता की तिथि, प्रयास (Attempt), प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत (उन विश्वविद्यालय के अनुसार जहाँ आवेदक ने अध्ययन किया है), शैक्षिक महीनों की संख्या, वर्ग या श्रेणी, मोड (Distance or Regular), अनिवार्य विषय, वैकल्पिक विषय, सीट या रोल संख्या और उत्तीर्णता का वर्ष अंकित करना होगा। एक योग्यता का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करें। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 5: अनुभव संबंधी जानकारी :** इस चरण में यदि आवेदक के पास कोई प्रासंगिक कार्य अनुभव है, तो उसे हाँ पर क्लिक करना होगा अन्यथा नहीं पर Click करें। यदि आवेदक हाँ का चुनाव करते हैं, तो आवेदक को अपने कार्यानुभव का विवरण (वर्तमान/पूर्व), नियोजन का प्रकार, विभाग जहां वे कार्यरत हैं/थे, बिहार सरकार के अन्तर्गत संस्थान का नाम, पदनाम, ग्रेड पे, मूल वेतन एवं किस तिथि से कार्यरत हैं, का विवरण अंकित करना होगा। एक कार्य अनुभव का विवरण पूरा भर लेने के पश्चात् Add बटन पर Click करके Save करना सुनिश्चित करें। अंत में आवेदक को save बटन पर Click करना होगा।

**Step 6: फोटो एवं हस्ताक्षर एवं प्रोफाइल लॉक:** इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी, जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और एक हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20kb से अधिक नहीं होना चाहिए एवं Width 150-220 Pixel के बीच और Height 250-320 Pixel के बीच होनी चाहिए एवं उसके बाद Save बटन पर Click करना होगा। अंत में आवेदक को checkbox पर Click करके इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है एवं उसके बाद आवेदक Submit और Lock Profile पर Click करना होगा।

नोट:-

- (i) Lock Profile पर Click करने के बाद Profile Lock होने के बाद ही आवेदक को Active Advertisements की लिस्ट New Advertisement Tab के अन्दर दिखेंगे।
- (ii) यदि आवेदक अपने Profile में कुछ Edit/Update करना चाहता है तो My Account Tab में जाकर Update/Unlock Profile Tab से कर सकता है। Update/Unlock Profile Tab पर क्लिक करने के बाद आवेदक के द्वारा दिये गये ईमेल और मोबाईल नम्बर पर OTP प्राप्त होगा, जिसे भरने के बाद आवेदक अपने Profile को Edit/Update कर सकता है। Edit/Update करने के पश्चात् Profile को Lock करना होगा। जो Step 6 Tab में उपलब्ध है।
- (iii) Profile Lock होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए Apply कर देते हैं, तो उस विज्ञापन में दिये गये किसी भी प्रविष्टि (Details) में कोई भी सुधार/परिवर्तन नहीं होगा।

*f*

#### **D. INSTRUCTIONS FOR NEW APPLICATION**

- (i) आवेदक का Profile Create होने के बाद New Application Tab में सारी On going/Active Advertisements दिखेगा, जिसमें View Button पर Click करने के बाद Check Advertisement Criteria पर Click करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं Submit & Pay Fees पर Click करके Payment की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- (ii) Application Form एवं Payment की प्रक्रिया पूर्ण होने पर My Account Tab पर Click करने के बाद आवेदक द्वारा Apply किये गये Advertisements दिखेंगे, जिसके Action Column में Application Form Print, Cancel Application, Pay Now (अगर Payment नहीं हुआ है), Payment History का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (iii) यदि किसी आवेदक के Application Form में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वे अपना आवेदन Cancel करके नए सिरे से Application Form भरना सुनिश्चित करेंगे।  
नोट:- Application Form Cancel करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।  
ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।  
ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (iv) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे।
- (v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id एवं Mobile Number को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (viii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

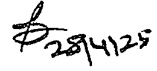
#### **E. MY ACCOUNT TAB**

- (i) यदि किसी आवेदक को अपना पासवर्ड Change करना है, तो आवेदक My Account Tab में उपलब्ध विकल्प से कर सकता है।
- (ii) यदि आवेदक उस समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना चाहता है, तो आवेदक शुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। उस समय, आवेदक को My Account Tab में जाना होगा, फिर उस टैब में शुल्क जमा करने का विकल्प है।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन भरने एवं हार्ड कॉपी डाउनलोड करने के बाद Profile में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- (iv) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (v) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Application Number, Application ID एवं Bar Code अंकित है। हार्ड कॉपी पर Application Number, Application ID एवं Bar Code में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (vi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को My Account Tab से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

**Note:-** यदि आवेदक को OTR एवं Application Form भरने में कोई शिकायत है, तो Grievance Tab में उसका विवरण दे सकते हैं।

12. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः My Account Tab पर Click करेंगे, तत्पश्चात् Action के अन्दर View Option पर Click करने पर Application Print का Option दिखेगा जहाँ से भरे हुए आवेदन की दो प्रति निश्चित रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
  - (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
  14. शैक्षिक योग्यता एवं संविदा आधारित अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
  15. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
  16. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bihar.gov.in) पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
  17. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।



परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।